भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 316

10 अगस्त, 2021

"उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें"

***316. श्री श्याम सिंह यादव:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या जिला-वार कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने जौनपुर जिले में शाहगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में स्थित चीनी मिल को बंद कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार जौनपुर जिले में नई चीनी मिल की स्थापना करने अथवा जौनपुर जिले में शाहगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में स्थित वर्तमान में बंद चीनी मिल का पुनरुद्धार करने का है; और

(ड.) यदि हां, तो सरकार का विचार ऐसा कब तक करने का है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ड.): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

****

लोक सभा में दिनांक 10.08.2021 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 316 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर के संदर्भ में विवरण

(क): उत्तर प्रदेश में 120 चीनी मिलें प्रचालनरत हैं। उत्तर प्रदेश की प्रचालनरत चीनी मिलों की ज़िला-वार सूची अनुबंध में दी गई है।

(ख) से (ड): उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने दिनांक 14 मई, 2008 के आदेश के द्वारा जौनपुर ज़िले के शाहगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में स्थित उत्तर प्रदेश राज्य चीनी और गन्ना विकास निगम लिमिटेड की शाहगंज इकाई (ज़िला-जौनपुर) को बंद करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार द्वारा दी गई और सूचना के अनुसार चीनी मिल को बंद कर दिया गया था क्योंकि इसका प्रचालन कम पेराई क्षमता (प्रति दिन केवल 1016 टन पेराई) के कारण लाभकारी नहीं था तथा संयंत्र और मशीनरी पुरानी हो चुकी थी एवं मिल को भारी वित्तीय नुकसान हो रहा था। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 04 जनवरी, 2011 के आदेश द्वारा बंद इकाई को मैसर्स वेव इंडस्ट्रीज लिमिटेड को बेच दिया है। अब बंद पड़ी चीनी मिल को फिर से चलाने की जिम्मेदारी उद्यमी की है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि उनके पास उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के शाहगंज निर्वाचन क्षेत्र में किसी नई चीनी मिल को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

केंद्रीय सरकार देश के किसी भी भाग में चीनी मिल की स्थापना नहीं करती है। इसके अलावा, चीनी उद्योग को दिनांक 31.08.1998 से नियंत्रण-मुक्त कर दिया गया है। नियंत्रण-मुक्त करने के बाद उद्यमी देश के किसी भी भाग में चीनी मिलें स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं, बशर्ते वे गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में दी गई शर्तों को पूरा करते हों। इसके अलावा, बंद चीनी मिल को पुनः चलाने/पुनरुद्धार करने के लिए कदम उठाने की ज़िम्मेदारी निजी क्षेत्र के मामले में संबंधित उद्यमी की है और सहकारी क्षेत्र के मामले में संबंधित सहकारी समिति की है।

****

अनुबंध

लोकसभा में दिनांक 10.08.2021 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 316 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध

उत्तर प्रदेश में प्रचालनरत चीनी मिलों की ज़िला-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	ज़िले का नाम	प्रचालनरत चीनी मिलों की संख्या
1	2	3
1	अलीगढ़	1
2	अम्बेडकरनगर	1
3	अमरोहा	3
4	अयोध्या	2
5	आजमगढ़	1
6	बदायूं	2
7	बागपत	3
8	बलरामपुर	3
9	बाराबंकी	1
10	बरेली	5
11	बस्ती	3
12	बहराइच	4
13	बिजनौर	9
14	बुलंदशहर	4
15	देवरिया	1
16	फर्रूखाबाद	1
17	गाजियाबाद	1
18	गोंडा	3
19	गोरखपुर	1
20	हापुड़	2
21	हरदोई	3
22	कासगंज	1
23	कुशीनगर	5
24	लखीमपुर	9
25	महाराजगंज	2
26	मऊ	1
27	मेरठ	6
28	मुरादाबाद	4
29	मुजफ्फरनगर	8
30	पीलीभीत	4
31	रामपुर	3
32	सहारनपुर	6
33	शाहजहांपुर	5
34	संभल	3
35	शामली	3
36	सीतापुर	5
37	सुल्तानपुर	1
कुल राज्य		120

****